न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 05 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024 / 166

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 कमलेश पुत्र हरीराम 2 अनोप कुमार पुत्र हरीराम 3 छगनी पुत्री हरीराम, जाति–बिश्नोई, निवासीगण–सांचौर तहसील व जिला–सांचौर		1 कमला देवी पत्नी बुद्वाराम 2 गंगा देवी पत्नी लाभूराम 3 गोमती पुत्री हेमाजी 4 गोरखाराम पुत्र मूलाजी 5 चुनी पुत्री हेमाजी 6 जमना देवी पत्नी हेमाजी 7 झमू देवी पत्नी जयकिशन 8 झीमा पत्नी मूलाजी 9 तेजाराम पुत्र हेमाजी 10 तुलसी देवी पत्नी विरधाराम 11 देवाराम पुत्र हेमाजी 12 परमा देवी पत्नी भलाराम 13 भीखाराम पुत्र मूलाजी 14 मेहनी देवी पत्नी रामकिशन 15 विरमा देवी पत्नी हरिराम 16 शांता देवी पुत्री हेमाजी आसु जातियान–बिश्नोई, निवासीगण–सांचौर, तहसील व जिला–सांचौर 17 तहसीलदार (भूमिधारी) सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :– 30.08.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुलाल पालड़िया व प्रकाश पालड़िया उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण 1 लगायत 17 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 25.10.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण मय अधिवक्ता ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 1[illegible]न भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया, जो बाद कार्यालय टिप्पणी [illegible] अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। [illegible] प्रकार है कि बांके [illegible] मौजा–सांचौर, तहसील व जिला–सांचौर में प्रार्थीगण [illegible] संयुक्त खातेदारी व [illegible] कब्जाकाश्त का खेत आराजी खसरा नंबर 2579 रकबा 7.87 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम जाव सोयम स्थित है। जिसकी जमाबन्दी प्रार्थीगण के नाम इन्द्राज है तथा मौका पर प्रार्थीगण का

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.12 17:28:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

संयुक्त कब्जाकाश्त होने से निरन्तर उक्त वादग्रस्त आराजी की गिरदावरी प्रार्थीगण के नाम से इन्द्राज होती है तथा इसका लगान भी राज्य शासन को प्रार्थीगण संयुक्त रूप से अदा करते आ रहे है। इस प्रकार प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के काबिज काश्त विधि सम्मत खातेदारान है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 2579 के दक्षिणी सेढ़े मौजा सांचौर में ही विप्रार्थीगण क्रमांक 01 लगायत 16 के संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जाकाश्त का खेत खसरा संख्या 2570 रकबा 5.95 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम स्थित है। दिनांक 24.07.2024 को विप्रार्थीगण ने मिलकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 2579 रकबा 7.87 हैक्टेयर मौजा सांचौर का दक्षिणी सेढ़ा तोड़कर पेड़ उखाड़ दिया तथा सेढ़ा नष्ट समतल कर दिया तथा उल्टा प्रार्थीगण पर विप्रार्थी संख्या 01 तेजाराम पुलिस थाना सांचौर में मिथ्या रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थी के पक्ष पर सेढ़ा तोड़ने का झूठा आरोप लगाया है। इस घटना के पश्चात प्रार्थीगण के मौजा सांचौर में स्थित खेत खसरा संख्या 2570 के बीच स्थायी सीमा चिन्ह के अभाव में नित्यप्रति दोनों पक्षों के बीच विवाद होता रहता है तथा इसको लेकर क्रिमिनल व सिविल लिटिगेशनस क्रियेट होकर प्रक्रियाओं की विविधतायें उत्पन्न हो गई है। प्रार्थीगण शांति प्रिय व्यक्ति है जो मौका पर सेढ़े को लेकर किसी भी अवस्था में तनाव व तनाजा नहीं चाहते है। इसलिए प्रार्थीगण ने दोनों खेतों के बीच सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार सांचौर से हल्का पटवारी सांचौर के नाम पैमाईश का आदेश करवाकर पैमाईश करवानी चाही तो विप्रार्थीगण ने मौका पर लड़ाई झगड़ा पर उतारू होकर पैमाईश कर स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित नहीं करने दिया। विप्रार्थीगण स्थायी सीमा चिन्ह के अभाव में प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जाकाश्त की वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2579 रकबा 7.87 हैक्टेयर मौजा सांचौर में अनाधिकृत अतिक्रमण करना चाहते है। आज की स्थिति के अनुसार दोनों पक्ष अपने अपने खातेदारी खेतों में काबिज काश्त है तथा विधिनुसार पैमाईश कर जरिये पुलिस इमदाद दोनों खेतों के बीच स्थायी सीमा चिन्ह के रूप में पत्थरगढ़ी करना न्यायहित में अतिआवश्यक है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा सांचौर के खेत खसरा संख्या 2579 व 2570 के बीच सेढ़े की सीमाज्ञान हेतु पैमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने का तहसीलदार सांचौर को आदेशित फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 तामील बावजूद अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। हमने एकपक्षीय बहस सुनी गई, अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के मौजा सांचौर में स्थित खेत खसरा संख्या 2579 रकबा 7.87 हैक्टेयर के दक्षिणी सेढ़े पर विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 2570 रकबा 5.95 हैक्टेयर के बीच सेढ़े की सीमाज्ञान हेतु पैमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.12 17:28:50 IST
Reason: SelfAttested

हमने एकपक्षीय बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति का अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश वर्तमान जमाबंदी खसरा संख्या 2570, 2571 मौजा सांचौर नकल जमाबंदी खसरा संख्या 2573, 2574,

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

2577 से 2579 मौजा सांचौर नकल नक्शा किश्तवार तथा मौका फर्द दिनांक 28.07.2024 के अनुसार उक्त खातेदारों के बीच माठ को लेकर विवाद होना प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

परिणामस्वरूपः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि सरहद मौजा सांचौर के खेत खसरा संख्या 2579 रकबा 7.87 हैक्टेयर के दक्षिणी सेढ़े पर तथा विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 2570 रकबा 5.95 हैक्टेयर की पैमाईश कर दोनों पक्षों की उपस्थिति में उपरोक्त आराजी पर पत्थरगढ़ी करवाई जावें। पत्थरगढ़ी का तमाम खर्चा प्रार्थीगण स्वयं वहन करें।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **25.10.2024** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.12 17:28:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner